राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-4) निरीखण विभाग

क्रमांक : प. 5(14)प्र.सु./4/95 जयपुर, दिनांक 26-6-04
:

:: परिपत्र ::

विषय :- सरकारी कर्मचारियों की कार्यालय में समय पर उपस्थिति एवं अनुशासन सुनिश्चित किये जाने हेतु आकस्मिक निरीक्षण की पालना रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

राज्य के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में समय पर उपस्थिति, मुख्यालय एवं कार्यस्थल पर पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु इस विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश एवं परिपत्र जारी किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत आप सभी को अपने अधीनस्थ कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करने एवं उप खण्डीय स्तर पर उप खण्ड अधिकारी/तहसीलदार को उनके क्षेत्र के समस्त कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी एक आकस्मिक निरीक्षण दल का गठन किया हुआ है जो सभी कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण करता है।

शासन के यह ध्यान में लाया गया है कि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों/अधिकारियों द्वारा अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति का निरीक्षण किये जाने में शिथिलता बरती जा रही है। राज्य स्तरीय "आकस्मिक निरीक्षण दल" द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये कार्मिकों के बारे में भी पालना रिपोर्ट प्रेषित करने एवं दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही करने में अत्यधिक विलम्ब देखा जा रहा है जिससे निरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही का कोई महत्व नहीं रहता। समय पर समुचित कार्यवाही नहीं होने के कारण एक ओर विलम्ब से आने वाले कर्मचारी स्वयं में सुधार नहीं करते, वहीं दूसरी ओर अनुशासित कर्मचारी भी इससे हतोत्साहित तथा प्रभावित होते हैं।

राज्य सरकार सभी लोक-सेवकों की कार्यालय में समय पर एवं पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है, इस निमित्त आप सभी का सक्रिय सहयोग वांछनीय है। आप सभी से अपेक्षा है कि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सतत् निरीक्षण किये जावें एवं आकस्मिक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये कार्मिकों के सम्बन्ध में अधिकतम एक माह की अवधि में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जावे।

आकस्मिक निरीक्षण दल को विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पायी जाने वाली निम्नांकित कमियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाकर लेख है कि -

1. सरकारी कार्य से अथवा फील्ड ड्यूटी में कार्य करने वाले कर्मचारी निरीक्षण के दिन अनुपस्थित पाये जाने पर अपना दौरा दिखा देते हैं, वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। अतः फील्ड वाले कर्मचारियों को अपना यात्रा कार्यक्रम पूर्व में बनाकर उच्चाधिकारियों से अनुमोदन उपरान्त कार्यालय में उपलब्ध करवाने तथा राजकीय कार्यों से यात्रा करने वाले कर्मचारी यात्रा पर जाने से पूर्व अपनी उपस्थिति पंजिका में दौरे का अंकन करना सुनिश्चित करें।

2. मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों में कर्मचारियों हेतु "आवागमन पंजिका" का संधारण करवाया जाना आवश्यक है किन्तु अधिकांश कार्यालयों में संधारण नहीं देखा गया है, अतः कृपया आवागमन पंजिका का संधारण सुनिश्चित करावें।